छत्तीसगढ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक 300 / नि.स. / स. / स्वा. / 2020 नवा रायपुर, दिनांकः 12 / 04 / 2020

प्रति,

कलेक्टर,
समस्त जिला
छत्तीसगढ़

विषयः कोविड अस्पताल / क्वारेन्टरईन सेंटरो से डिस्चार्ज होने के उपरांत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बाबत्।

----000----

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, वर्तमान में कोरोना वायरस (कोविड–19) से संक्रमित व्यक्तियों को उपचार हेतु चिन्हांकित कोविड अस्पतालों में रखे जाने का प्रावधान है। कोविड अस्पताल में उपचार उपरांत उन्हें डिस्चार्ज किए जाने की परिस्थिति में डिस्चार्ज नोट में दिए गए निर्देशानुसार उनको कोविड अस्पताल से अपने अभिरक्षा में प्राप्त करते हुए संबंधित जिले में उसके निवास स्थान तक ले जाने की कार्यवाही की जाये। संबंधित व्यक्ति के सतत् पर्यवेक्षण एवं निगरानी भी सुनिश्चित किया जावे।

इसी प्रकार क्वारेन्टाईन सेन्टर, रायपुर से संबंधित जिले के डिस्चार्ज होने वाले व्यक्तियों के संबंध में उपरोक्तानुसार प्रक्रिया अपनाई जावें।

(निहारिका बारिक सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
12/4

Scanned with CamScanner